हिन्दुस्तान

बिना निबंधन प्लॉट खरीद-बिक्री पर सारण के 10 बिल्डरों पर गाज

सेटेलाइट चित्र के माध्यम से तथ्य जुटाए गए, एक करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना

कार्रवाई

छपरा, नगर प्रतिनिधि। भू-सम्पदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने सेटेलाइट तकनीक का प्रयोग कर भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स पर सख्त कार्रवाई की है।

तकनीक का प्रयोग कर नियम के उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर उनपर जुर्माना किया गया है। इन बिल्डरों पर कुल एक करोड़ 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है व साथ-साथ महानिरीक्षक (निबंधन) को यह निर्देश दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स से सम्बंधित प्लॉट की रजिस्ट्री पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाए व सम्बंधित अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स के सभी प्लॉटों के दाखिल-खारिज पर भी रोक लगा दी जाए। कार्रवाई की जद में आने वाले सभी प्लॉटेड डेवेलपमेंट के प्रोजेक्ट सारण जिले से सम्बंधित हैं और इनमे बगैर रेरा निबंधन के ही प्लॉट की खरीद बिक्री हो रही थी। इन बिल्डर्स की कुल 14 परियोजनाएं ऐसी पाए गयीं जहां प्लॉटो की खरीद-बिक्री बगैर रेरा निबंधन के ही की जा रही थी। मालूम हो कि इस वर्ष मई महीने से रेरा बिहार ने रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों पर कारवाई करने के लिये इमेजरी आधारित जांच की शुरुआत की और पूरे देश के रेरा में ऐसी शुरुआत करने वाली पहली रेरा है। अपने आईबीआई अभियान के तहत प्राधिकरण ने अपनी तकनीकी दलों को सेटेलाइट चित्र के माध्यम से उन स्थानों की पहचान का कार्य दिया जहां प्रोजेक्ट चलाये जाने के संकेत मिल रहे हों। इन चित्रों के केएलएम फाइल तैयार की गयी ताकि स्थल का अक्षांश व देशांतर पहले से पता हो व उसकी पहचान आसानी से की जा सके। उसके बाद रेरा बिहार ने विशेष दलों का गठन किया व स्थानीय प्रशासन की सहायता से इनका स्थल निरीक्षण किया गया व सम्बंधित अधिकारिओं के सहयोग से चिन्हित ज़मीन का खाता व खेसरा संख्या भी निकाला गया। सारे सबूतों के प्राप्त हो जाने के बाद इन प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान मामले दर्ज किये गए व न्यायिक प्रक्रिया के तहत रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन पर कारवाई की गयी। पहले चरण में रेरा बिहार द्वारा गठित दलों को सारण, भागलपुर व पूर्णिया जिलों में भेजा गया और जिला प्रशासन के सहयोग से सम्बंधित अधिकारियों को इन दलों के साथ स्थल निरीक्षण के लिए भेजा गया ताकि सेटेलाइट चित्र से प्राप्त सूचना को स्थल निरीक्षण द्वारा सत्यापित कार्य जा सके।

14 परियोजनाएं ऐसी पाए गयीं जहां प्लॉटों की खरीद-बिक्री बगैर रेरा निबंधन के हो रही थी

- **बिल्डरों के 14 परियोजनाओं से सम्बंधित बिक्री व दाखिल खारिज पर भी रोक**

आएबीआई मुहिम के तहत दोषी बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद दोषी बिल्डरों के विरुद्ध रेरा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारवाई शुरू की गयी व सम्बंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। दोषी प्रमोटरों पर हुई कारवाई पर टिप्पणी करते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर व प्लॉट खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है और आएबीआई मुहिम की शुरुआत इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने घर व प्लॉट खरीदारों से भी अपील की कि वे ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा न लगायें जो रेरा निबंधित नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण सारण, भागलपुर व पूर्णिया जिलों के बाद अब राज्य के अन्य जिलों में भी आएबीआई मुहिम के तहत दोषी बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू करेगा।

इन पर हुई कार्रवाई

आर्या कंस्ट्रक्शन, बोल्ड इंडिया इन्फ्रा, ग्रीन होम्स बिल्डटेक, लावण्या इंडिया डेवलपर, सारण प्रॉपर्टीज, शीतल बिल्डटेक, टीसी डब्लू प्राइवेट लिमिटेड, डिवाइन बिल्डकॉन, निधिवन होम्स एवं टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर।